(ग) कोयला और अन्य खनिजों की रायल्टी दरों में संशोधन न किए जाने से हानि निम्नलिखित कारणों से काल्पनिक है–

(1) अधिनियम में हर तीन वर्ष की समाप्ति पर वृद्धि करना आदेशात्मक प्रावधान नहीं है; और

(2) यदि रायल्टी दरों में पहले संशोधन किया गया होता तो ये दरें बाद में अधिसूचित दरों से भिन्न होतीं।

(घ) केन्द्र सरकार, प्रधान खनिजों की रायल्टी दरें अधिसूचित करती है, किन्तु यह राशि राज्य सरकारों द्वारा सीधे ही पट्टाधारकों से वसूल की जाती है और इसलिए, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को रायल्टी की राशि जारी करने का प्रश्न नहीं उठता।

Exploration of minerals

326. SHRI S. MADHAVAN: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether thare is any proposal to permit the mining companies abroad to undertake mineral exploration activities in India; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

सोने की खोज

327. **श्री राम नरेश यादव :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्वर्ण खानों से सोने का पता लगाने के लिए विदेशी मशीनों का किन-किन स्थानों पर प्रयोग किया गया था ;

(ख) इन यंत्रों का उपयोग करने से कितनी सफलता मिली है और कितना सोना प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) उपलब्धों जानकारी के अनुसार, देश में स्वर्ण खानों मे सोने का पता लगाने के लिए विदेशी मशीनों का प्रयोग नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता

Allocation of Steel to Arunachal Pradesh

328. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have made allocation of steel and C.G.I. sheets to Arunachal Pradesh during 1989-90, 1990-91 and 1992 s_0 far;

(b) if so, the details thereof;

(c) what is the total quantum of each quota;

(d) whether such quota is directly collected by the State Government; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) to (c) Supply of various steel items including galvanised sheets are made by the main producers to Arunachal Pradesh on the basis of supply plans made by the Development • Commissioner for Iron and Steel in favour of the nodal authority., (for Government Departments,. PSUs, etc.) and allocations in favour of the Arunachal Pradesh Industrial Development and Financial Corporation Limited (for smell •scale industries). The year-wise

supply plan/allocations of steel and galvanised (GP/GC) sheets to Arunachal Pradesh during 1989-90, 1990-91, 1991-92 end 1992-93 are:—

(In Matric Tonnes)

Year	Supply Plan for Nodal Authority			Allocations to APIDFC		
	Steel	GC/GP Sheets	Total	Steel	GC Sheets	Total
1989-90 .	2321	1400	3721	60	10	70
1990-91 .	2361	3732	6093	145	20	165
1991-92 .	2447	4515	6962	205	10	215
1992-93 .	3540	1850	5390	100	—	100
(April-Sept. 1992)						

(d) The State Government department and APIDFC lift the materials directly from the main producers.

(e) The year-wise quantities paid for and lifted by the State Government Departments and the APIDFC are indicated below:

Year	Nodal Authority			APIDFC		
	Steel	GP/GC Sheets	Total	Steel	GP/GC Sheets	Total
1989-90 .	351	847	1198	15	10	25
1990-91	879	912	1591	40	22	62
1991-92	1444	989	2433	65	51	115
1992-93 (April-May, 1992)	100	134	234	10		10

स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया के लिए निर्धारित किया गया चूना पत्थर का क्षेत्र

329. **श्री लक्खी राम अग्रवाल :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा इस्पात के उत्पादन में इस्तेमाल किये जाने के लिए निर्धारित किया गया चूना-पत्थर का क्षेत्र इस्तेमाल के लिए अनुपयुक्त है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उस क्षेत्र को स्टील अथारिटी आफ इंडिया से मुक्त कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Use of substandard fire bricks in Visakhapatnam Steel Plant

330 DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether Government have received complaints against the sub-